उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-31/2015/1661/92-1-2015-80जांच/2014,

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2015

**कार्यालय-ज्ञाप**

कार्यालय अभिलेखों में हेरा-फेरी कराने, लोहिया ग्राम सभा 2012-13 के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने में असफल रहने तथा कराये गये कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप न कराने एवं विकास खण्ड-मवई के झरना नाले की संरचना के सुरक्षात्मक उपाय न करने के कारण हुई शासकीय क्षति आदि अनियमितताओं के लिए श्री सै0 मो0 हुमायू जॉह अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0, फैजाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे विधिवत् जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन को उपलब्ध करायेंगे।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

कुमार कमलेश

प्रमुख सचिव।

**संख्या-31/2015/1661(1)/92-1-2015-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र (दो प्रतियों में) साक्ष्यों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जाँच अधिकारी के रूप में आरोप-पत्र पर यथा स्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराते हुए तामीली रसीद शासन में अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण कर जांच आख्या शासन को प्रेषित की जाया।

3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री सै0 मो0 हुमायू जॉह, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0, फैजाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( शिशिर कुमार यादव )

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in